

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायल..... मुकाम.....

..... बनाम कोटला राय अग्ने

किस्म मुकदमा..... 111, 128 अ 31/2 (अ 8) 295..... सन् 2017.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.12.17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री 1245521.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/01/18... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायल</p>	
23/01/18	<p>प्रार्थी व वकील उपस्थित/ विप्रार्थी गिणों के नोटिस तामिल बुझा जाए जिले तामिल पत्रावली विधा गद्दा/ विप्रार्थी गिण बाण्डुड तामिल अनुपस्थित/ जिनके खिलाफ एडवोकेट डाय-वादी समल में लाई जाले है प्रार्थी के अधि-पत्रा श्री एडवोकेट लक्ष्म सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बतला श्री प्रार्थी को अपने धाले डारी धाले के चारों ओर पत्रे नेधम एधाले इतवाना कावधु है इसलिए प्रार्थी का कावेन टवीअर विधा जाडर नेधमवनी कावेन विधा जावे केल प्रार्थी इर कावेन टवीअर विधा जाडर लखरिणार गिणों का इतिहास नियुक्त विधा जाला है व प्रोसेस विधा जाला है कि प्राय स्वमं प्रा अपने अधिवक्ता विमी भी प्र. मावलेष मिरिसुड के प्रार्थी के धालेसी धाले श्री प्रार्थी नेधमवनी को डे पर कुलु नका डगाडु डे पालना रिपट जाए दोन पर तामिल पत्रावली धाले पत्रावली तामिल कुमाए है, डज नम्बर के डम है।</p> <p>दाखिल दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायल</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद/2018/55
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक:- 12.02.2018
विप्रार्थीगण

1. लाखाराम पुत्र मेहाराम वगैरा 3
जाति जाट निवासी खोखर
तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

1. कोहलाराम पुत्र चौखाराम वगैरा 27
निवासी खोखर तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 295/17

आदेश

मौजा कंकोलगढ पटवार हल्का खोखर के खेत खसरा नम्बर 1317/47, 7, 48, 51, 67, 69, 1374/51 रकबा कमशः 21.16, 66.03, 00.03, 03.10, 24.17, 00.15, 11.10 बीघा, मौजा धांधूपूरा के खसरा नम्बर 282 रकबा 19.08 बीघा व मौजा बाघथल के खसरा नम्बर 580/201 रकबा 20.09 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।



(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 12.02.2018

कमांक/वाद/2018/56-61

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री लाखाराम पुत्र मेहाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री कोहलाराम पुत्र चौखाराम वगैरा 27।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कमिश्नर (SDO)

बायतु